न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 59 / 2021

1 कैलाश कंवर पत्नी श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी बिहारीपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अशोक पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती।
2 मुकेश पुत्र भगवाना जाति नाई।
3 रेखा पत्नी मुकेश जाति नाई।
4 मालीराम पुत्र चतरू जाति दरोगा निवासीगण बिहारीपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 जगदीश पुत्र भोलाराम जाति बलाई निवासी सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
6 पुष्पा देवी पत्नी इन्द्रजीत जाति यादव निवासी बानाला की ढ़ाणी तन डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7 उप पंजियन अधिकारी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 22.12.2020 न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना जिला सीकर पीठासीन अधिकारी मुकदमा नम्बर 51 / 2020 बउनवानी अशोक बनाम कैलाश कंवर आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18-04-2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 51/2020 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.12.2020 को एक पक्षीय रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। इसके विरूद्व अपीलांट ने यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 631 संयुक्त खातेदारी की भूमि है। मौके पर सहखातेदार अलग – अलग हिस्से पर काबिज है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी है। संयुक्त खातेदारी की भूमि पर एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का आदेश नोन स्पीकिंग है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.सी. 1999 पेज 447 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य लम्बित आवेदन धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2020 को विचाराधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है एवं आगामी तिथि नियत की गई है। पक्षकारों के मध्य लम्बित आवेदन धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नही की गई है तथा न ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का समुचित अवलोकन ही किया गया है। अत प्रकरण निर्देशो के साथ विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब प्राप्त कर इस निर्णय के एक माह के भीतर उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर